(2)

मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/औषधीय /2011/ 3080/12/58 भोपाल, दिनांक : 12/12/12

प्रति,-

1. कलेक्टर, जिला ..... (समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ..... (समस्त)
3. उप संचालक उद्यान, सम्भाग ..... (समस्त)
4. सहायक संचालक उद्यान, जिला ..... (समस्त)

विषय :– औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार की योजना।

–:000:–

आयुर्वेद एवं परम्परागत चिकित्सा पद्धित में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की माँग सतत् बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कई कृषि जलवायु क्षेत्र होने से कई प्रकार के औषधीय एवं पौधों की कृषि एवं उपज प्राप्त करने की प्रबल संभावना है। दिनांक 08 अगस्त, 2011 को मंत्रि–परिषद् की कृषि क्षेत्रक मामलों की समिति (कृषि केबिनेट) की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार की योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रारम्भ की जाना है।

मंत्रि–परिषद् के निर्णय के पालन में औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार की योजना का प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

1. योजना का प्रारम्भ :–

यह योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से जिला पंचायतों के माध्यम से विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक से क्रियान्वित होगी ।

2. योजना का उद्देश्य :–

2.1 गुणवत्तायुक्त अधिक उपज देने वाली, अल्प अवधि वाली औषधीय एवं सुगंधित प्रजातियों का क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।

2.2 कृषकों को परम्परागत कम आय देने वाली खाद्यान्न फसलों के स्थान पर अधिक आय देने वाली औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना।

2.3 औषधीय एवं सुगंधित फसल उत्पादन कर उत्पादकों की आय में वृद्धि करना।

2.4 अनुपयोगी, कमजोर, समस्याग्रस्त पड़त भूमि का उपयोग कर उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना।

3. योजना का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार :–

3.1 प्रदेश के सम्पूर्ण जिले ।

4. योजना का स्वरूप

4.1 योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से, क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसलों को लगाने हेतु अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रावधान होगा, जिसकी न्यूनतम सीमा 0.25 हेक्टेयर होगी।

4.2 योजनान्तर्गत निर्धारित सीमा में औषधीय एवं सुगंधित फसल की खेती पर अनुदान पात्रता अनुसार देय होगा।

4.3 यह योजना पूर्णतः क्लस्टर आधारित होगी।

4.4 जिले के लिये औषधीय एवं सुंगधित फसलों, प्रजाति का चयन जिला स्तर पर सहायक संचालक करेगें तथा प्रजाति एवं क्लस्टर का अनुमोदन संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी से प्राप्त करेंगे।

5. आदानों एवं अधोसंरचना की व्यवस्था :–

योजना में आदान निम्नानुसार है :–

5.1 उन्नत औषधीय एवं सुगंधित फसल बीज/रोपण सामग्री ।

5.2 पौध संरक्षण औषधीय।

5.3 रासायनिक खाद/जैविक खाद।

6. अनुदान की पात्रता :–

6.1 हितग्राही कृषक को उन्नत औषधीय एवं सुगंधित फसल उत्पादन पर संलग्न अनुसूची–1 अनुसार अनुदान देय होगा ।

6.2 कृषक द्वारा योजनान्तर्गत ली जा रही फसल के लिये अन्य संस्थाओं से कोई अनुदान प्राप्त न किया हो ।

6.3 कृषक अपने स्वयं की भूमि पर योजना का लाभ ले सकेंगें।

6.4 कृषकों के पास चयनित औषधीय एवं सुगंधित फसल अनुसार आवश्यक सिंचाई सुविधा आदि होना आवश्यक है।

6.5 कृषक को निर्धारित समय–सीमा में आवेदन उद्यान अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा तथा विभागीय निर्देशानुसार कार्य संपादित करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर फसल एवं दस्तावेज आदि का अवलोकन कराना होगा।

6.6 "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धान्त पर हितग्राही को लाभ दिया जावेगा।

6.7 वृक्ष प्रजातियों का रोपण ब्लॉक प्लांटिंग में करना अनिवार्य होगा।

6.8 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लघु सीमान्त कृषकों को योजना में प्राथमिकता दी जाये।

6.9 योजना का लाभ एक कृषक प्रति फसल को एक बार ही दिया जावेगा, तथा पुनः लाभ 5 वर्ष बाद देय होगी।

7. वित्तीय व्यवस्था :–

योजना का कियान्वयन राज्य योजना अन्तर्गत प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।

7.1 हितग्राही कृषक को पात्रता के अनुसार अनुदान राशि स्वीकृत होने पर देय होगी।

7.2 बजट आवंटन की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दी जावेगी।

8. लक्ष्यों का निर्धारण :–

8.1 बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए फसल व रकबे के लक्ष्यों का निर्धारण क्षेत्र कृषकों की माँग एवं उपयुक्तता के आधार पर सहायक संचालक उद्यान की अनुशंस अनुसार किया जावेगा।

9. ग्राम समूह – क्लस्टर का चयन :–

9.1 योजना के कियान्वयन की इकाई ग्राम होगी एवं सहायक संचालक उद्यान द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना के आधार पर उपयुक्त ग्राम समूह (क्लस्टर) का चयन किया जावेगा। इनका अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा कराया जायेगा।

जहाँ पर परम्परागत रूप से औषधीय एवं सुगंधित फसल फसलों की सघन खेती की जा रही है, उसके आस–पास के ग्रामों को भी क्लस्टर में शामिल किया जावेगा ।

9.2 जहाँ अभी औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती नहीं की जा रही है, उन ग्रामों में औषधीय एवं सुगंधित फसलों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम लिया जावेगा, प्रारम्भिक क्लस्टर पंचायतों के क्षेत्र तक सीमित रहेगा ।

9.3 योजना का कियान्वयन एक सघन क्षेत्र में होने से भण्डारण, विपणन एवं प्रसंस्करण आदि से सम्बन्धित सेवाओं एवं मूलभूत अधोसरंचनाओं का विकास किया जा सकेगा।

9.4 चयनित एक क्लस्टर में रकबा कम से कम 2 हेक्टर होगा।

9.5 योजना क्लस्टर के रूप में क्रियान्वित की जावेगी।

10. हितग्राही चयन की प्रक्रिया :–

10.1 हितग्राही की चयन सूची, खरीफ, रबी एवं जायद हेतु अलग–अलग मुख्य फसलों की प्रजातिवार विकास खण्ड स्तर पर उद्यान अधीक्षकों द्वारा तैयार की जावेगी, जिसका संकलन जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान द्वारा किया जायेगा। कृषकों का चयन उनके पास उपलब्ध सिंचाई क्षेत्र एवं अन्य संसाधन के आधार पर किया जावेगा।

10.2 उद्यान अधीक्षक द्वारा तैयार की गई हितग्राही कृषकों की चयनित सूची सम्बन्धित ग्राम सभा/जनपद पंचायत से माह अप्रैल में अनुमोदित कराई जावेगी। यह सूची लक्ष्य से 20 प्रतिशत अधिक होगी ।

10.3 आवेदकों की वरिष्ठता आवेदनों की प्राप्ति दिनांक के अनुसार होगी। आवेदनों का पंजीयन, विकास खण्ड स्तर पर उद्यान अधीक्षक कार्यालय में किया जावेगा।

10.4 जिलो को दिये गये लक्ष्य एवं बजट प्रावधान के आधार पर हितग्राही का चयन किया जावेगा।

10.5 10.4 "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धान्त पर हितग्राही को लाभ दिया जावेगा।

10.5 इस अनुमोदित सूची की वरिष्ठता (आवेदन प्राप्ति दिनांक अनुसार) में किसी भी अन्य स्तर से कोई परिवर्तन नही होगा। अनुमोदित प्रतीक्षा सूची से आवश्यकता होने पर कृषकों को कार्यक्रम में शामिल करने का अधिकार उद्यान अधीक्षक की अनुशंसा पर सहायक संचालक उद्यान को होगा ।

11. हितग्राही का प्रशिक्षण :–

11.1 औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती के हितग्राही का चयन उपरान्त एक दिवसीय प्रशिक्षण जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय में वैज्ञानिकों द्वारा कराया जावेगा, जिससे कृषक उत्पादन की आधुनिक तकनीक से भलीभांति अवगत हो सके।

12. हितग्राही की जिम्मेदारी :–

12.1 हितग्राही कृषक निर्धारित अनुदान राशि के अतिरिक्त शेष आदान की व्यवस्था स्वयं करेगा।

12.2 औषधीय एवं सुगंधित फसल की समय पर बोनी/सिंचाई एवं अन्य उत्पादन तकनीकी प्रशिक्षण में बताये अनुसार करनी होगी ।

12.3 योजना अन्तर्गत लगाई गई फसल पर अन्य योजना/संस्था से अनुदान प्राप्त नहीं करेंगे।

12.4 विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये योजना संबंधी निर्देशों का पालन करना पड़ेगा तथा क्षेत्र का निरीक्षण कराना होगा

13. घटकों की व्यवस्था :–

13.1 कृषकों द्वारा विभाग से अनुमोदित किस्मों के औषधीय एवं सुगंधित फसल के ~~बीज/पौधों का क्रय, शासकीय रोपणी, कृषि विश्वविद्यालय की रोपणी /वन~~ विभाग की अनुसंधान विस्तार रोपणी, एम.पी.एग्रो द्वारा पंजीकृत कम्पनियों एवं निजी विक्रेता से किया जावेगा तथा बिल प्रस्तुत करने पर अनुदान देय होगा।

13.2 Central Insecticide Board से प्रमाणित मानक स्तर की पौध संरक्षण दवाएँ, जैविक खाद व रासायनिक उर्वरक कृषक स्वयं क्रय करेगा । कृषक पौध संरक्षण दवाएँ, जैविक व रासायनिक उर्वरक एम0 पी0 एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन/सहकारी समितियों/मार्कफेड/निजी विक्रेताओं से क्रय करने के लिये स्वतंत्र होगा।

14. योजना का क्रियान्वयन :–

14.1 अनुमोदित कृषक सूची के अनुसार उद्यान अधीक्षक अनुदान प्रकरण तैयार कर सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तुत करेंगे एवं सहायक संचालक उद्यान सभी हितग्राहियों का अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से करायेंगे ।

14.2 अनुमोदन उपरान्त सहायक संचालक उद्यान खरीफ, रबी एवं जायद के प्रकरण स्वीकृत करेंगे ।

14.3 औषधीय एवं सुगंधित फसल की बुवाई के दो माह पश्चात् उद्यान अधीक्षक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तुत करेंगे। सहायक संचालक

उद्यान भी क्षेत्र का निरक्षण करेगें तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिवस के अन्दर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनुदान भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करेगें। इन स्वीकृतियों की प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करेंगे तथा विभागीय वेब साईट पर भी दर्ज करायेंगे।

14.4 सहायक संचालक उद्यान अनुदान की कृषकवार राशि आहरण करेंगे तथा कृषक के खाते में RTGS के माध्यम से सीधे अनुदान राशि जमा करेंगे/अपरिहार्य परिस्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए कृषक को "अकाउन्ट पेई" चेक द्वारा अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगें ।

14.5 कृषकों की अनुदान राशि का भुगतान फसलवार अनुलग्नक–2 अनुसार किया जावेगा।

15. तकनीकी अधिकार :–

15.1 योजना के अन्तर्गत समस्त तकनीकी अधिकार जिले के सहायक संचालक उद्यान को प्रदत्त रहेंगे ।

16. प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार :–

16.1 प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रदत्त रहेंगे ।

16.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले के सहायक संचालक उद्यान द्वारा कृषि समिति के अनुमोदन उपरान्त अनुदान राशि का भुगतान किया गया है ।

16.3 सहायक संचालक उद्यान कृषक अनुदान स्वीकृत सूची विभागीय वेबसाईट पर भी इन्द्राज करेंगे तथा सूची की सी0डी0 संचालनालय को भी उपलब्ध करायेंगे।

17. विपणन/प्रसंस्करण

17.1 निजी कम्पनियों तथा एजेंसियों से टाईअप कर विपणन/प्रसंस्करण की व्यवस्था की जायेगी।

17.2 जिन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा औषधीय पौध उत्पादों के प्रसंस्करण की इकाईयों की स्थापना की गई है, उन इकाईयों से इस योजना को संबद्ध किया जावेगा।

18. समीक्षा :–

18.1 हितग्राही कृषकों के खेतों पर लिये गये औषधीय एवं सुगंधित फसल उत्पादन कार्यक्रम का निरीक्षण निम्नानुसार किया जायेगा ।

| | |
|---|---|
| उद्यान अधीक्षक | 100 प्रतिशत |
| सहायक संचालक उद्यान | 10 प्रतिशत |

आवश्यकता होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उद्यानिकी विभाग के अधिकारी एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधि की समिति गठित कर सत्यापन कराया जावेगा ।

18.2 समीक्षा के दौरान प्रस्तावित औषधीय फसलें यदि वर्षा, तापमान अथवा कीट व्याधि से प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति में कारणों का परीक्षण किया जाकर उस फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत लेने की कार्यवाही की जावेगी, ताकि अधिक लागत वाली फसलों की खेती करने वाले कृषकों को राहत मिल सके।

19. प्रगति प्रतिवेदन :–

मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सहायक संचालक उद्यान जिला पंचायत/सम्भागीय उप संचालक उद्यान तथा संचालनालय को माह की पाँच तारीख तक प्रस्तुत करेंगे।

20. मूल्यांकन :–

20.1 संचालनालय द्वारा समय–समय पर योजना का इम्पेक्ट असेसमेन्ट कराया जावेगा।

20.2 आवश्यकता होने पर योजना का भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियों के साथ कुछ प्रतिशत थर्ड पार्टी से कराया जावेगा।

संलग्न :– प्रपत्र–1, 2, 2–अ, 3, 4, 5–अ, 5–ब
अनुलग्नक–1

(आर.के. स्वाई)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग